भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 पाँच हजार रुपये

Rs.5000 FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते INDIA

बिहार BIHAR क्रय संख्या 17866 तिथि 5-3-21 मूल्य 5000 सीट संख्या

B 009144

Serial No. 3301 Deed No. 3527

क्रेता का नाम एवं पता

Govt. of Bihar
कामेश्वर प्र० सिंह, मुद्रांक विक्रेता
निबंधन कार्यालय, पटना
District Registry Office ,Patna

Summary of Endorsement

This document was presented for registration on **05/03/2021** by **Veena Singh**
A Stamp Duty of Rs. **151920**/- and other Fees of Rs. **25525**/- has been paid in it.
The document was found admissible. The Names, Photographs, Fingerprints and Signatures of the Executants and their Identifier, who have admitted execution before me, are affixed on the reverse page.
The document has been registered as Deed No. **3527** in Book No. **1**, Volume No. **89** on pages from **431** to **449** and has been preserved in total **19** pages in C.D. No. **12** / Year **2021**

Signature with Date
(Satya Narayan Chaudhry)
Registering Officer, **Patna**

Date: 05/03/2021 Token No: 3381 /2021

दस्तावेज की जाँच किया एवं दस्तावेज में वर्णित विवरणों के अनुरूप पाया।

जाँच कर्ता
(अरुण कुमार महाराज)

SCANNED BY

उन्नयन मनोबंध
(Development Agreement)

यह डेवलपमेन्ट एग्रीमेन्ट आज दिनांक–05.03.2021 ई० को निष्पादित किया जाता है:–

Chandra Prakash Kumar
05-03-2021

वीणा देवी
05/03/2021

Chandra Prakash Kumar

वीणा देवी

(1) **श्रीमती वीणा सिंह, उम्र–58 वर्ष,** पति स्व0 मोती प्रसाद सिंह, निवास स्थान ग्राम–टिकलुगंज, थाना–कहलगाँव, पोस्ट–मथुरापुर, जिला–भागलपुर, वर्तमान निवास स्थान–एल.सी.टी.घाट महंथ हनुमान शरण हाई स्कूल गेट के सामने राजापुर मैनपुरा, थाना–पाटलीपुत्रा, पोस्ट–जी.पी.ओ., जिला–पटना, पिन कोड–800001, राज्य–बिहार, जाति–राजपुत, पेशा–गृहिणी,

PAN-BQWPS9915F आधार नं0–6398 1900 0132

मोवाईल नं0–9304004313

(2) **श्री नरेन्द्र प्रसाद सिंह, उम्र–68 वर्ष,** पिता स्व0 शिवधारी सिंह, निवास स्थान ग्राम–टिकलुगंज, थाना–कहलगाँव, पोस्ट–मथुरापुर, जिला–भागलपुर, वर्तमान निवास स्थान–फ्लैट नं0–408बी. स्वावलम्बी रेसिडेन्सी दाउद विगहा, नियर भुतनाथ मोड़, पटना–800026, राज्य–बिहार, जाति–राजपुत, पेशा–सेवानिवृत,

PAN-AKJPS1961R आधार नं0–5517 3915 2000

मोवाईल नं0–7250117939

दोनो भारतीय नागरिक। जिन्हें आगे जमीन मालिक/प्रथम पक्ष के नाम से सम्बोधित किया गया है। (जो शब्दावली प्रसंग के प्रतिकूल होने अथवा हटाये जाने की स्थिति को छोड़कर उनके उत्तराधिकारी, निष्पादक,प्रशासक हितबद्ध उत्तराधिकारी को शामिल करेंगे) जिन्हें इसमें प्रथम पक्ष कहा गया है।

एवम्

उत्तम कन्स्ट्रक्शन एण्ड डेवलपर्स, एक साझेदारी फर्म, पंजीकृत कार्यालय–कमला भवन, यारपुर शिवाजी पथ, थाना–गर्दनीबाग, पोस्ट–जी.पी.ओ., जिला–पटना, द्वारा **प्रबंधक साझेदार–श्री चन्द्र प्रकाश कुमार,** पिता श्री कृष्णा यादव, निवासी–लॉजी चेनारी, थाना–चेनारी, जिला–रोहतास एवं प्रबंधक साझेदार **श्रीमती रूबी देवी,** पति श्री कुन्दन किशोर शर्मा, निवास स्थान– कमला भवन, यारपुर शिवाजी पथ, थाना–गर्दनीबाग, पोस्ट– जी.पी.ओ., जिला–पटना, पिन कोड–800001, जिन्हें आगे डेवेलपर/भवन निर्माता/ उन्नयनकर्ता/विकासक इत्यादि के नाम से सम्बोधित किया गया है, जिसमें उनके कार्यालय के अधिन्यासी, नामित एवं उत्तराधिकारी इत्यादि सम्मिलित हैं जो इसमें द्वितीय पक्ष के रुप में वर्णित हैं,

के बीच सम्पादित हुआ।

1.मोवाईल नं0–7870353935

2.मोवाईल नं0–9973439496

Chandra Prakash Kumar
05-03-2021
रूबी देवी
05/03/2021

Vina Singh
5/3/2021
Narendra Prasad Singh
05/3/2021

Chandra prakash Kumar

रूबी देवी

यह कि अनुसूची–1 में वर्णित प्लौट नं0–1676 में मवाजी–2722 वर्गफीट के स्वामिनी, अधिकारिणी एवं दखलकार जमीन मालिक/प्रथम पक्ष सं0–1 श्रीमती वीणा सिंह है जिसे प्रथम पक्ष सं0–1 ने दिनांक–19.05.1999 ई0 को विक्रय विलेख के द्वारा श्री विजय सिंह. पिता रामजतन सिंह, निवासी–गाँधी नगर, दानापुर, थाना–दानापुर, जिला–पटना से खरीद की है जिसका वसीका नं0–1972, बुक नं0–1, जिल्द नं0–704, पेज नं0–71 से 100 तक, निबंधित अवर निबंधन कार्यालय–दानापुर है और खरीदारी तिथि से प्रथम पक्ष सं0–1 श्रीमती वीणा सिंह अपने खरीदगी भूखण्ड पर स्वामिनी स्वरूप निर्विवाद रूप से शांति पूर्वक दखल कब्जा में रहती हुई अपना नाम अंचल कार्यालय दानापुर के पंजी–2 में नामांकित करवाकर भू–राजस्व रसीद कटवाती चली आती है जिसका जमाबंदी नं0–8015, भाग वर्तमान–24, पृष्ठ सं0–36566 है।

यह कि अनुसूची–1 में वर्णित प्लौट नं0–1676 में मवाजी–1840 वर्गफीट भूखण्ड को जमीन मालिक/प्रथम पक्ष सं0–2 श्री नरेन्द्र प्रसाद सिंह की पत्नी श्रीमती उत्तमी सिंह ने दिनांक–19.05.1999 ई0 को विक्रय विलेख के द्वारा श्री विजय सिंह पिता श्री राम जतन सिंह, निवास स्थान–गाँधी नगर दानापुर, थाना–दानापुर, जिला–पटना से खरीद की है जिसका वसीका नं0–1971, बुक नं0–1, जिल्द नं0–704,पेज नं0–49 से 70 तक, निबंधित अवर निबंधन कार्यालय–दानापुर है और खरीदारी बाद श्रीमती उत्तमी सिंह उक्त खरीदगी भूखण्ड पर दखल कब्जा में रहती हुई अपने पीछे पति श्री नरेन्द्र प्रसाद सिंह (प्रथम पक्ष सं0–2) एवं दो पुत्र संदीप रघुवंशी एवं पियुष कुमार को छोड़कर दिनांक–27.10.2012 ई0 को स्वर्गवास कर गई। तत्पश्चात श्री नरेन्द्र प्रसाद सिंह अपने पत्नी स्व0 श्रीमती उत्तमी सिंह के खरीदगी भूखण्ड पर बहैसियत खुद एवं बहैसियत अफसर एवं कर्त्ता अपने दोनो पुत्र के होकर और रहकर स्वामी स्वरूप निर्विवाद रूप से शांति पूर्वक दखल कब्जा में रहते हुए भू–राजस्व रसीद कटवाते चले आ रहे है जिसका भाग वर्तमान–106, पृष्ठ सं0–30 है।

इसतरह दोनो जमीन मालिक को अनुसूची–1 में वर्णित भूखण्ड पर पूर्ण हक, स्वामित्व, अधिकार एवं दखल कब्जा प्राप्त है। जमीन मालिक स्वयं एवं अपने– अपने परिवार एवं पुत्रों के

Chandrapurkesh Kumar
05-03-2021
रजनी देवी
05/03/2021

Vinay Singh
05/03/2021.
Narendra Prasad Singh
05/03/2021

तरफ से लेख्य सम्पत्ति का अन्तरन एवं किसी भी प्रकार का करारनामा इत्यादि करने के लिए सक्षम हैं।

यह कि विकासक को जमीन मालिक ने अनुसूची–1 में वर्णित जमीन के संबंध में यह विश्वास दिलाया कि जमीन हर प्रकार से पाक–साफ एवं स्वत्व, दोष तथा ऋण भार से मुक्त है। यदि भविष्य में किसी भी प्रकार का कोई स्वत्व, दोष या ऋण भार पाया जायेगा तो उसकी जिम्मेवारी जमीन मालिक पर होगी और उसके चलते होने वाले हर्जा–खर्चा तथा क्षति–पूर्ति भुगतान करने का दायित्व जमीन मालिक को रहेगा।

यह कि उपर्युक्त दोनों पक्षों की सहमति से यह निर्णय लिया गया कि अनुसूची–1 में वर्णित जमीन पर एक बहु मंजिला इमारत का निर्माण निम्नलिखित शर्तो एवं बंधणों पर किया जायः–

1. यह कि द्वितीय पक्ष ने प्रथम पक्ष की सहमति से यह तय किया कि अनुसूची–1 की जमीन पर बहु मंजिला इमारत का निर्माण **नगर परिषद दानापुर निजामत/सक्षम प्राधिकार** से प्रस्तावित भवन का नक्शा एवं प्लान स्वीकृत अनुसार बनाएंगे।
2. यह कि जमीन मालिक और द्वितीय पक्ष डेवलपर के बीच इस संबंध में इस विलेख के निष्पादन के पहले से बातचीत चल रही थी और अब डेवेलपर्स ने अंतिम रुप से यह निर्णय लिया है कि वे उक्त सम्पत्ति को उन्नयन के लिए ग्रहण करेंगे और जमीन मालिक को आश्वासन दिया तथा आश्वत किया है कि उक्त सम्पत्ति का उन्नयन करने में किसी भी तरह से जमीन मालिक को क्षति नहीं पहुँचायेंगे।
3. यह कि उभय पक्ष सहमत हुए कि द्वितीय पक्ष के डेवलपर बचनबद्ध करते हैं कि अनुसूची–1 में वर्णित जमीन पर बहुमंजिला इमारत की संरचना करेंगे।
4. यह कि जमीन मालिक एवं भवन निर्माता ने यह भी तय किया कि भवन के अंतिम रुप से निर्माण के पश्चात सम्पूर्ण शिखर पर terrace का व्यवहार उक्त इमारत के धारक तथा इमारत के स्वामियों द्वारा बनाये गए सदस्य ही करेंगे।
5. यह कि जमीन मालिक एवं भवन निर्माता द्वारा यह भी तय किया गया कि **नगर परिषद दानापुर निजामत/सक्षम प्राधिकार** द्वारा स्वीकृत प्रस्तावित निर्माणाधीन हिस्से में जमीन मालिक का **50 प्रतिशत** एवं भवन निर्माता/विकासकर्त्ता का **50**

Chandrapavathy Kumar
05-03-2021
रजनी देवी

Vimla Sinha
05/03/2021
Nirmala Prasad Singh
05/03/2021

Chandrapavathy Kumar
रजनी देवी

प्रतिशत हिस्सा परम निर्मित क्षेत्र, पार्किंग क्षेत्र, फ्लैट इत्यादि में होगा।

भूखण्ड स्वामीगण/प्रथम पक्ष एवं विकासकर्त्ता के बीच फ्लैटो का विभाजन नीचे वर्णित अनुसार किया गया।

(क) श्रीमती वीणा सिंह–प्रथम पक्ष सं0–1 को कुल 1493 वर्गफीट दक्षिण दिशा प्रथम तल पर फ्लैट नं0–102 एवं 103 की एवं श्री नरेन्द्र प्रसाद सिंह–प्रथम पक्ष सं0–2 को 763 वर्गफीट दिशा उत्तर प्रथम तल पर फ्लैट नं0–101 होगा।

(ख) द्वितीय तल का सम्पूर्ण निर्मित क्षेत्र–2312 वर्गफीट में होने वाले निर्मित फ्लैट सं0–201,202,203 एवं 204 विकासकर्त्ता का होगा।

(ग) श्रीमती वीणा सिंह–प्रथम पक्ष सं0–1 को कुल 613 वर्गफीट उत्तर दिशा तृतीय तल पर फ्लैट नं0–301 एवं श्री नरेन्द्र प्रसाद सिंह–प्रथम पक्ष सं0–2 को 613 वर्गफीट दिशा दक्षिण तृतीय तल पर फ्लैट नं0–304 होगा।

(घ) तृतीय तल का सम्पूर्ण निर्मित क्षेत्र–2312 वर्गफीट में होने वाले निर्मित फ्लैट सं0–302 निर्मित क्षेत्र–543 वर्गफीट एवं फ्लैट नं0–303 निर्मित क्षे.–543 वर्गफीट विकासकर्त्ता का होगा।

(ड.) सतही तल पर 200 वर्गफीट का निर्मित फ्लैट विकासकर्त्ता का होगा और प्रथम पक्ष सं0–2 का जो भी हिस्सा शेष निकलने पर उसका कीमत विकासकर्त्ता द्वारा प्रथम पक्ष सं0–2 श्री नरेन्द्र प्रसाद सिंह को चेक/आर.टी.जी.एस. के द्वारा देय होगा।

6. यह कि डेवलपर ने स्वीकार किया है कि भवन प्रथम कोटि का होगा और उन्नत इमारत में प्रयुक्त सभी सामान बिना मिलावट के और दीर्घ टिकाउ गुणवत्ता वाले लगाए जायेंगे।

7. यह कि उभय पक्षों के बीच परस्पर घोषणा और प्रतिनिधित्व के द्वारा बातचीत के फलस्वरुप डेवेलपर द्वारा उक्त जमीन के उन्नयन के लिए किया गया एकरारनामा शर्तो और बन्धंणों के साथ अंकित किया गया।

8. यह कि जमीन मालिक डेवेलपर को यह स्वीकृत करते हैं और डेवेलपर जमीन मालिक से उक्त जमीन को उन्नत करने का अधिकार स्वीकार करते हैं उन शर्तो और बन्धंणों पर जो इस एकरारनामा की अनुसूची–1 में वर्णित है।

Chandra prakash kumar
05-03-2021
रचना देवी
05/03/2021

Vimal Singh
05/03/2021
Namrita Prasad Sinha
05/03/2021

Chandra prakash Kumar
रचना देवी

9. यह कि जमीन मालिक की सहमति और लिखित स्वीकृति से डेवेलपर उक्त जमीन पर बनाए जाने वाली इमारत कम्पलेक्स का नक्शा, स्वरुप और (elevation) आकृति तैयार करने जिसमें किये जाने वाले कार्य का specification तथा प्रयोग किये जाने वाले सामानों जो प्रथम कोटि के होने चाहिए, के लिये एक वस्तुकार architect की नियुक्ति करेंगे। इस पर होने वाले सभी खर्च और architect को दिये जानेवाला पारिश्रमिक (fees) डेवेलपर द्वारा दिया और वहन किया जायेगा।

10. यह कि जमीन मालिक/प्रथम पक्ष ने निर्मित प्लान का नक्शा **नगर परिषद दानापुर निजामत/सक्षम प्राधिकार** से स्वीकृत करा चुके है। जिसका प्लान केश नं0-17/2020-21, दिनांक-19.03.2020 ई0 है।

11. यह कि इस मनोबंध के निष्पादन के बाद जमीन मालिक डेवेलपर को उनके कर्मचारियों, अभिकर्ताओं, कारीगरों, अभियंताओं एवं मजदूरों को उक्त सम्पत्ति में प्रवेश करने की अनुमति देंगे, जिससे वे साईन बोर्ड लगाकर विभिन्न विकास-पूर्व कार्य यथा नक्शा और योजना का निर्माण जैसे कार्य कर सकें। वैसे विकास कार्य की सुविधाओं की अनुमति डेवेलपर द्वारा **नगर परिषद दानापुर निजामत/सक्षम प्राधिकार** और अन्य प्राधिकारों से भवन निर्माण योजना की स्वीकृति मिल चुकी है।

12. यह कि प्राकृतिक विपदा और डेवेलपर की शक्ति के नियंत्रण के बाहर के कारणों को छोड़कर जिससे उक्त सम्पत्ति और निर्माण कार्य प्रभावित हो, भवन निर्माण की समय **02 वर्ष (दो वर्ष)** की होगी और उसके बाद कार्य पूर्ण करने का **छः माह** का कृपो काल होगा। उसके बाद एक साल बिलम्ब होने पर बैंक दर पर (एसबी.आई,एम.सी.एल.आर.) + 2% अतिरिक्त दर के रेट से ब्याज का भुगतान फ्लैट सुपूर्द की अवधि तक मासिक अन्तराल में करना होगा। यदि निर्धारित अवधि बढ़ता है यानि तीन वर्ष छः माह के बाद फ्लैट का बंटवारा 55 प्रतिशत जमीन मालिक एवं 45 प्रतिशत डेवलपर्स का होगा जिसका आवंटन तृतीय मंजिल पर स्थित बिल्डर के फ्लैट संख्या- 302 एवं 303 में जमीन मालिक को किया जाएगा या उसकी कीमत सुपर क्षेत्र के अनुसार प्रति वर्गफीट की वर्तमान दर से समायोजित होगा।

Chandraprakash Kumar
05-03-2021
रक्षा देवी
05/03/2021

Nirmala Prasad Singh
05/03/2021

Chandra prakash Kumar
रक्षा देवी

13. यह कि मालिक सहमत हैं और वचनबद्ध है कि वे बिहार अपार्टमेन्ट स्वामित्व अधिनियम 2006 की धारा 5 (1) एवं 5 (2) तथा अन्य सभी प्रावधानों एवं नियमों को पालन करेंगे और अधिनियम के अनुरुप भवन निर्माण पूर्ण होने के बाद विकासक/संप्रवर्तक एवं भू-स्वामी अपने-अपने हिस्से के निरपेक्ष स्वामी होंगे तथा वे अपने-अपने हिस्से को पृथक् रुप से बेचने/अन्तरण करने के हकदार होंगे और उसका नियमानुकुल सक्षम निबंधन कार्यालय में निबंधन करेंगे जिसमें उक्त अधिनियम एवं नियम का पालन किया जायेगा। विकासक अपने हिस्से का क्षेत्र बंधक रखकर ऋण ले सकेंगे और विक्रय के लिए एकरारनामा करेंगे। जिसमें जमीन मालिक के हिस्से का क्षेत्र सम्मिलित नहीं रहेगा।

14. यह कि उक्त जमीन पर सम्पूर्ण इमारत कम्पलेक्स तथा उन्नयन कार्य पूर्ण होने पर डेवेलपर बिक्री योग्य निर्मित इमारत के प्रमुख क्षेत्र का आनुपातिक आधार पर जमीन मालिक को पारा सं0-05 में वर्णित प्रतिशत के अनुसार हिस्सेदारी सुपुर्द कर देंगे (प्रत्येक कोटि के फ्लैटों पर अर्थात् वे फ्लैट जो उक्त विकसित और निर्मित इमारत के प्रमुख अंग होंगे जो डेवेलपर या उनके नामित को आनुपातिक रुप से भागीदार होंगे, साथ ही साथ इस श्रेणी की तकनीकी जरुरतों को ध्यान में रखते हुए निर्माण प्रथम कोटि का होगा।

15. नक्शा स्वीकृति के पश्चात् भवन निर्माण होने पर मंजिलों में बढ़ोतरी का संशोधित नक्शा यदि अनुमोदित होता है तो वैसी स्थति में निर्माण कार्य विकासक द्वारा पूर्ण करने पर उपर्युक्त अंकित अनुपातिक हिस्से के लिए जमीन मालिक भी हकदार होंगे और उसी अनुपात में क्रेताओं का प्रति फ्लैट अनुपातिक जमीन में हिस्सा बदल जायेगा।

16. यह कि यथावर्णित "जमीन मालिक का क्षेत्र" पर जमीन मालिक को पारा-5 में वर्णित प्रतिशत के अनुरुप ही अधिकार होगा जो इस विलेख के विभाजन पत्र में अंकित किया गया है। किन्तु, फ्लैटो में "जमीन मालिक का क्षेत्र" का निर्धारण आपसी मेल-जोल से होगा तथा सम्मिलित क्षेत्र अर्थात् सीढ़ी घर, रास्ता, पम्प घर,जेनरेटर घर,वाहन क्षेत्र,लिफ्ट स्थान, प्रहरी घर, सम्मिलित शौचालय एवं सम्मिलित (सामुहिक) उपयोग की अन्य चीजें जमीन मालिक और डेवेलपर दोनों द्वारा आनुपातिक रुप से उपयोग की जाएगी।

Chandra Prakash Kumar
05-03-2021
रेखा देवी
05/03/2021

Vinay Singh
05.03.2021
Narendra Prasad Singh
05/03/2021

Chandra Prakash Kumar
रेखा देवी

17. यह कि डेवेलपर को उक्त जमीन के उन्नयन का अधिकार होगा जिसका उन्नयन वे उस पर इमारत/फ्लैट बनाकर, कार पार्किंग स्थान और अन्यान्य tenements के द्वारा जो **नगर परिषद दानापुर निजामत/सक्षम प्राधिकार** और/अथवा अन्य संबंधित प्राधिकार से स्वीकृत नक्शा की शर्तो और बंधेजों के अनुसार करेंगे अथवा उक्त उद्देश्य के लिए जमीन मालिक डेवेलपर को जरुरत पड़े तो वैसे सभी कार्य (Acts, deeds, matters) को करने के लिए डेवेलपर को अधिकृत करते हैं जिसमें खास बातें निम्नवत हैं :-

A. उक्त जमीन पर संबंधित प्राधिकार के नियमों एवं परिनियमों के अनुसार जमीन मालिक के नाम में प्रस्तावित इमारत की योजना बनाना और स्वीकृति के लिए आवेदन तैयार करना, कानूनी कदमों, वचनबद्धता सम्बन्धी कागजात तैयार करना, हस्ताक्षर करना तथा परियोजना की स्वीकृति के लिए उन्हें जमा करना।

B. इमारत तथा परियोजना के लिए सर्वेयर, इंजीनियर,ठेकेदार, मजदूर और अन्य लोगों की नियुक्त करना।

C. पानी, बिजली और अन्य सुविधाओं के लिए संबंधित अधिकारियों को आवेदन करना तथा सिमेंट, लोहा और अन्य भवन निर्माण सामग्री के लिए सरकारी कोटा के परमिट के लिए आवेदन करना।

D. किसी भी याचिका (writ) नोटिस या अन्य कानूनी प्रक्रिया प्राप्त करना और जमीन मालिक की ओर से न्यायालय में किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट tribunal या अन्य के समक्ष उपस्थित होना साथ ही किसी न्यायालय सरकारी अधिकारी या tribunal के समक्ष उक्त सम्पत्ति से संबंधित किसी मामले, मुकदमें में उपस्थित होना, बचाव करना, मुकदमा दायर करना, सभी आवश्यक कागजात पेश करना एवं वकालतनामा दायर करना। ये सभी काम डेवेलपर अपने खर्च पर करेंगे।

E. जैसे कहा जा चुका है उक्त जमीन पर भवन बनाना और उसकी बिक्री/ lease पर देने या अन्य प्रकार के आवंटन के लिए खरीदारों एवं lease लेनेवालों से विलेख की शर्तो के अनुरुप मनोबंध करना और उक्त इमारत में अपना हिस्सा आंशिक या

Chandra prakash Kumar
05-03-2021
रवली देवी
05/03/2021

Vinod Singh
05/03/2021
Nawada Prasad Singh
05/03/2021

Chandraprakash Kumar
रवली देवी

सम्पूर्ण रुप से एक या अन्य प्रस्तावित सहकारी समितियों को देना।

F. उपर्युक्त कथनानुसार उक्त इमारत एवं फ्लैट आदि को स्वामित्व अथवा अन्य आधार पर डेवेलपर के हिस्से से देना और उसका असिम अथवा बिक्री मूल्य का हिसाब रखना बशर्ते कि ऐसी प्राप्तियाँ सदैव डेवेलपर द्वारा उक्त जमीन के केवल विकास और निर्माण के लिए उपयोग की जाएंगी तथा सदैव इस शर्त के साथ कि डेवेलपर इसकी सुपुर्तगी नहीं करेंगे अथवा निर्मित क्षेत्र में अपना हिस्सा खत्म नहीं करेंगे जब तक कि जमीन मालिक को मिलने वाला सम्पूर्ण निर्मित क्षेत्र पूर्ण रुप से उन्हें सुपुर्द नहीं कर दिया जाता है।

G. इमारत कम्पलेक्स में फ्लैट/tenements आदि खरीदने वालों को अपने फ्लैट/tenements के एवज में आर्थिक संस्थाओं से ऋण लेने के लिए डेवेलपर को इमारत में अपना हिस्सा बंधक रखना।

H. डेवेलपर को यह अधिकार होगा कि पारा सं0-5 में वर्णित अपने हिस्से को सीधे अथवा सहकारी समितियों द्वारा बेचने, आवंटित करें और उनके पक्ष में खरीदारों के नाम विक्रय पत्र निष्पादित करें।

I. जमीन मालिक ने स्वीकार किया है कि यदि डेवेलपर उक्त परियोजना से सटे या उसके आस-पास की जमीन पर कोई दूसरी परियोजना का विस्तार करें तो उन्हें किसी प्रकार की आपति नहीं होगी।

J. पूर्वोक्त जमीन पर प्रस्तावित इमारत के लिए योजना को संबंधित प्राधिकार के नियमों के अन्तर्गत तैयार कर इसे नगर परिषद दानापुर निजामत/सक्षम प्राधिकार से नक्शा स्वीकृत करा चुके है और स्वीकृत नक्शा के अनुरूप ही विकासकर्त्ता इमारत का निर्माण करेंगे।

18. यह कि जमीन मालिक घोषणा करते हैं :-

(i). कि जमीन मालिक को उक्त जमीन से संबंधित इसके अधिग्रहण या अधियाचना के लिए कोई नोटिस या अधिसूचना प्राप्त नहीं हुई है और उन्हें इसका उन्नयन करने या कराने के लिए अधिकार है।

Chandra Prakash Kumar
05-03-2021
रक्षा देवी
05/03/2021

Vinod Singh
05/03/2021
Manoj Singh
05/03/2021

Chandra Prakash Kumar
रक्षा देवी

(ii). कि उक्त जमीन से संबंधित इस जमीन या इसके किसी हिस्से पर कोई दावा, मांग, निषेधाज्ञा या संलग्नता किसी करारोपन अधिकारी, राजस्व अधिकारी या सरकार अथवा स्थायी निकायों या अधिकारियों द्वारा नहीं है।

(iii). कि जमीन मालिक के अलावा उक्त जमीन पर और किसी का कोई अधिकार, हिस्सा या हक नहीं है और जमीन मालिक किसी बेनामी जमीन मालिक के बेनामीदार नहीं हैं।

(iv). कि जमीन मालिक ने घोषणा किये है कि उक्त जमीन पर कोई दायित्व या अवभार नहीं है और अगर उस पर कोई झूठा दावा करता है तो जमीन मालिक ऐसे दावे को अपने खर्चे पर चुनौती देंगे।

(v). कि उक्त जमीन के अधिकार से संबंधित किसी भी न्यायालय में कोई मुकदमा नहीं चल रहा है और कोई भी शुल्क या कर इस विलेख के लिखे जाने तक बाकी नहीं है और अगर इसके पूर्व का कोई टैक्स या शुल्क बकाया हो तो जमीन मालिक उसका भुगतान करेंगे।

(vi). कि जमीन मालिक उक्त जमीन के हस्तांतरण, अंतरण के उद्देश्य से मनोबंध हो जाने के बाद प्रस्तावित इमारत में डेवेलपर को खाली भूखण्ड **एक माह** के अन्दर को सौंप देंगे और जमीन मालिक बचनबद्ध हैं कि वे पूर्वोक्त घोषणाओं के विरुद्ध कोई काम या कार्रवाई नहीं करेंगे।

(vii). कि जमीन मालिक को उन्नयनकृत सम्पत्ति में अपने हिस्से को बेचने, पट्टा पर देने अथवा निबटान करने का अधिकार होगा।

19. उचित अधिकार सहित इन प्रावधानों (presents) के अन्तर्गत डेवेलपर निर्मित भवन में कम से कम भू-तल्ला के संरचना कार्य की पूर्णता के बाद जमीन मालिक और इमारत में उनके हिस्से की पूर्ण सुरक्षा की व्यवस्था करते हुए डेवेलपर अपना हिस्सा बंधक रख सकते हैं बशर्ते ऐसा ऋण अथवा उधार डेवेलपर इमारत के अपने हिस्से की जमानत पर लेंगे और यह परियोजना के उन्नयन और जमीन मालिक की पूर्ण संतुष्टि के अनुसार इमारत के निर्माण में लगाया जाएगा। जमीन मालिक को ऐसे खातों, उधारों और आवेदनों को जांच करने का अधिकार होगा।

Chandra Prakash Kumar
05/03/2021

Vina Singh
05/03/2021

Nirendra Prasad Singh
05/03/2021

chandra prakash Kumar

20. इस उन्नयन मनोबंध की शर्तो के अनुपालन के साथ दोनों पक्षों के बीच यह स्पष्ट सहमति हुई है कि डेवलपर इमारत कम्पलेक्स में निर्मित क्षेत्र का उपरोक्त विभाजन के अनुसार बिक्री योग्य हिस्से को डेवेलपर उनके नामित के पक्ष में उक्त ढंग से हस्तांतरिक करने के लिए डेवलपर सभी कदम उठाएंगे एवं सम्पूर्ण खर्च का वहन करेंगे।

21. डेवेलपर उक्त जमीन का उन्नयन **"उत्तम कन्स्ट्रक्शन एण्ड डेवलपर्स "** के नाम से करेंगे और भवन निर्माता तथा जमीन मालिक का हिस्सा सहित सम्पूर्ण इमारत का नाम **" उत्तम वीणा रेसिडेन्सी"** होगा और पार्किंग स्थान सहित सारा निर्माण खर्च केवल डेवेलपर द्वारा वहन किया जाएगा तथा केवल डेवेलपर ही सरकार, **नगर परिषद दानापुर निजामत/सक्षम प्राधिकार** एवं अन्य अधिकारियों के प्रति इस जमीन के उन्नयन के लिए जवाब देय होंगे तथा उन्नयन क्रम में अगर कोई नुक्सान हो तो इसकी क्षतिपूर्ति तथा जमीन मालिक को इससे संबंधित सभी कार्यवाही, मांग, दावा, खर्च, नुक्सान, दंड अथवा अन्य कार्य असफलता, विलम्ब शुल्य या अनुबंध-विच्छेद के कारण (नगर निगम/नगर निकाय या अन्य प्राधिकारों द्वारा निर्मित नियमों के अन्तर्गत) हुई क्षति की पूर्ति करेंगे।

22. जमीन मालिक अपनी सहमति और वचनबद्धता व्यक्त करते हैं कि वे डेवेलपर के पक्ष में इस मनोबंध की शर्तो एवं बंधेजों के अनुरुप उक्त जमीन के उन्नयन से संबंधित सभी आवश्यक कार्य करने के लिए जमीन मालिक की ओर से विकासक को प्राधिकृत करते हैं जो अपने हिस्से की जमीन बिक्री के निमित इकरारनामा इत्यादि निष्पादित करेंगे।

23. इस उन्नयन मनोबंध के तथा इससे संबंधित सभी जेब खर्च, शुल्क, कानूनी खर्च जिसमें हस्तांतरण का स्टाम्प खर्च और निबंधन खर्च शामिल है, डेवेलपर या उनके नामिनों द्वारा वहन किया जाएगा।

24. **नगर परिषद दानापुर निजामत/नगर परिषद** द्वारा इमारत की योजना की स्वीकृति से **छः** महीने की कृपा अवधि के अन्तर्गत अगर डेवेलपर इमारत के निर्माण में असफल हो जाते हैं अथवा जमीन मालिक को बिक्री योग्य निर्मित क्षेत्र सुपुर्द करने में (चूंकि समय सीमा इस मनोबंध का प्रमुख अंग है) असमर्थ रहते हैं वैसे किसी दैवी कारण या नियंत्रण के बाहर प्राकृतिक विपति को छोड़कर जो इस निर्माण को प्रभावित करता

Chandra prakash Kumar
05-03-2021
रंजना देवी
05/03/2021
Vinay Singh
05/03/2021
Narendra Prasad Singh
05/03/2021
Chandra prakash Kumar
रंजना देवी

है, वैसी हालत में पूर्वोक्त निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत इमारत को पुरा न करने के कारण डेवेलपर को पारा सं0-5 में वर्णित उभय सहमति अनुसार कार्यवाही करने का अधिकार होगा।

25. इस मनोबंध की शर्तो के अनुसार उक्त जमीन पर प्रस्तावित इमारत में बिक्री योग्य निर्मित क्षेत्र पर अधिकार एवं हित के अतिरिक्त जमीन मालिक को परम निर्मित क्षेत्र यथा, गवाक्ष, सीढ़ी घर, रास्ता, लिफ्ट, पानी की टंकी, जेनरेटर कमरा, खुली जगह, वाहन पार्किंग स्थान और सभी सामूहिक क्षेत्र पर भी जमीन मालिक को अधिकार होगा।

26. डेवेलपर **नगर परिषद दानापुर निजामत** के नियम, परिनियम और कानूनों का दृढ़ता से पालन करेंगे और सर्वदा किसी क्षति, दावा, मांग जो नियमों और कानूनों के उल्लंघन से उत्पन्न हो उससे जमीन मालिक को क्षतिपूर्ति करायेंगे।

27. इमारत की योजना में डेवलपर सभी सामान्य (Civil), बिजली, plumbing and sanitory कार्यो जिसमें भूमिगत एवं उपरी टंकी, पानी व्यवस्था, नल पम्प, गृह सेवा आदि शामिल है वे **नगर परिषद दानापुर निजामत** की स्वीकृत योजना के अनुसार शामिल होगा।

28. उक्त इमारत या परिसर में किसी व्यक्ति के द्वारा किसी व्यक्ति या डेवेलपर पर किसी कार्य के चलते किसी व्यक्ति या प्राधिकार को देय किसी नुकसान, दावा,क्षतिपूर्ति के लिए डेवेलपर जमीन मालिक को पूरी तरह क्षतिपूर्ति करेंगे और जमीन मालिक किसी भी तरह का भुगतान करने, मजदूर क्षतिपूर्ति कानून अथवा किसी अन्य कानून के अन्तर्गत किसी दुर्घटना से संबंधित मुकदमें में बचाव करने के लिए जवाबदेह नहीं होंगे।

29. प्रस्तावित इमारत **नगर परिषद दानापुर निजामत** द्वारा स्वीकृत हो रहे वास्तुशिल्प की विशिष्टियों के अनुसार निर्मित होगी।

यह की लेख्य प्लौट से संबंधित जरुरी कार्यो के लिए जमीन मालिक ही प्राधिकृत हैं क्योंकि अपने परिवार में कर्ता की हैसियत से वरिये सदस्य होने के नाते परिवार के हित में आवश्यक कानूनी खर्चो की पूर्ति हेतु नियमानुकुल प्राधिकृत हैं।

Chandraprakash Kumar
05-03-2021
रेखा देवी
05/03/2021

Vijay Singh
Nirendra Prasad Singh
05/03/21

Dr Chandraprakash Kumar

रेखा देवी

यह कि दोनों पक्षों ने अपने होशों हवाश में एवं एक दूसरे से पढ़कर, पढ़वाकर, सुन समझकर बिना किसी जोर या दबाव के स्वस्थ्य मन एवं दिमाग से अपने–अपने शुभचिन्तकों एवं कानूनी सलाहकारों से विचार विमर्श कर इस विकास कार्य एकरारनामा पर गवाहों के गवाही के सामने हस्ताक्षर बनाया ताकि समय पर काम आये वो प्रमाण रहे।

रवी देवी
05/03/2024
Chandraprakash Kumar
05-03-2021

विस्तारक का हस्ताक्षर

Vina Singh
05/03/2021
Narendra Prasad Singh
05/03/2021

भूखण्ड मालिक का हस्ताक्षर

गवाह

1. Piyush Kumar
(Piyush Kumar)
S/o Narendra Prasad Singh
Flat no 408 B' Swalamby Residency
Daud bigha. Patna-26.

2. Sandeep Raghuvanshi
(Sandeep Raghuvanshi)
S/o Narendra Prasad Singh
Flat no 408 B' Swalamby Residency
Daudbigha. Patna-26.

3. Kumar Gaurav
S/o Late Moti Prasad Singh
Minu Niwas, opposite
Mahant Hanuman
Sharan High School Gate
L.C.T Ghat, Rajapur
Mainpura, Patna-800001

Chandraprakash Kumar
रवी देवी

अनुसूची–1

मवाजी–4562 वर्गफीट (चार हजार पाँच सौ बासठ वर्गफीट) समतुल्य–10.474 डिसमील परती भूखण्ड, जो महल्ला–ई0एस0आई0सी0 कॉलोनी के नजदीक, सर्वे मौजा–दानापुर शहजादपुर, थाना–दानापुर, जिला–पटना, अवर निबंधन कार्यालय–दानापुर एवं जिला निबंधन कार्यालय पटना में स्थित है जिसका थाना नं0–21, तौजी नं0–5400, खाता नं0–277, सर्वे प्लौट नं0–1676 का अंश, मूल्यांकन थाना कोड नं0–093 है। लेख्य सम्पत्ति पटना क्षेत्रीय विकास प्राधिकार (विघटित)/नगर परिषद दानापुर निजामत क्षेत्रान्तर्गत अवस्थित है।

चौहद्दी

उत्तर :– पार्ट प्लौट नं0–1676
दक्षिण :– पार्ट प्लौट नं0–1676
पूरब :– श्री विश्वनाथ सिंह
पश्चिम :– बीस फीट चौड़ा सहायक सड़क

सम्पति का कुल मूल्य–75,95,000/– रूपये पर मुद्रांक शुल्क देय है।

Vinay Singh 05/03/2021
Chandrapragyan Kumar 05-03-2021
Nagendra Prasad Singh 05/03/2021.
05/03/2021

परिशिष्ट–"अ"

निर्माणाधीन भवन का होने वाले कार्य एवं ढाँचागत विवरण

कार्य विवरणी		लागत सामान/प्रकार/QUALITIES
1. फाउन्डेशन	:–	आर.सी.सी.पाईलिंग, भूकंप अवरोध,स्ट्रक्चर डिजाईन के अनुसार (टाटा/कामधेनु/महावीर छड़ के साथ)
2. स्ट्रक्चर	:–	आर.सी.सी. फ्रेम स्ट्रक्चर बीव पीलर स्ट्रक्चर डिजाईनानुसार
3. दिवाल सिविल वर्क	:–	प्रथम श्रेणी ईट वर्क या आर.सी.सी. एवं अल्ट्राटेक सिमेन्ट मोर्टार के साथ
4. छत्त	:–	आर.सी.सी. सिमेन्ट +छड़ +कंक्रीट स्ट्रक्चलर इंजिनियर के अनुसार प्रथम पक्ष के स्वीकार के बाद ही छत ढलाई पार्किंग होना चाहिए।
5. फर्स	:–	(क) डिजिटल टाईल्स (36"X 36") जो रुम डायनिंग, किचन में लगेगा। (ख) बाथरुम में सिरेमिक्स टाईल्स (12" X 2") (ग) कॉमन एरिया बॉलकोनी में इम्पोरअेड स्टेन्डर्ड टाईल्स (36"X 36") (घ) दिवाल में 7 फीट उँचा ग्लेज्ड टाईल्स, बाश वेसिंग सफेद या नीला रंग का (ड.) ठंडा एवं गर्म कनेक्शन गीजर (हेवेल्स) के साथ
6. प्लास्टर	:–	सिमेन्ट मोर्टार 1:3 सीलिंग दिवाल 1:4, सीलिंग दिवाल पर पी.ओ.पी.पराईमर एवं प्लास्टिक पेंट. (सिर्फ प्रथम पक्ष के फ्लैट में)

सभी प्रकार के शुल्क से मुक्त पाया

Chandrapragyan Kumar
रश्मि देवी
5/3/2021

7. दरवाजा :- लकड़ी का चौखट 32 एम.एम. मोटा फैक्ट्री से निर्मित उत्तम फ्लस डोर पैनल प्राईमर सहित (डोर लुकिंग ग्लास के साथ) एवं लॉक के साथ
8. खिड़की :- अलयुमुनियम खिड़की पीन हेड ग्लास के साथ (ग्रील जमीन मालिक के हिस्से में)
9. किचेन :- किचेन में ग्रोनाईट स्लैब (प्लेटफार्म के उपर) दो फीट टाईल्स,मार्बल फ्लोरिंग एवं स्टील सिंक
10. मेन दरवाजा :- इम्पोरटेड माउल्डेड स्किनडोर फिचन और गोदरेज लॉक (प्रथम पक्ष के फ्लैट में) के साथ या सखुआ का चौखट, शीशम का पल्ला एवं सनमाईका लगाकर
11. सिवरेज :- सिवरेज डिजाईन के अनुसार उपर्युक्त व्यवस्था के साथ

12. जेनेरेटर बिजली, सुविधा केवल, इंटरकॉम :-
ट्रान्सफोर्मर,केवल सुविधा कनेक्शन एवं साईलेंट जेनेरेटर पूरे लोड लेने का सभी फ्लैट, लिफ्ट, पानी एवं कॉमन एरिया का, इंटरकॉमन सभी फ्लैट में एक प्यांट होगा अतिरिक्त खर्च पर अन्य प्यांट होगा।

13. विद्युत वायरिंग एवं बिजली मीटर :-
फायरप्रुफ लाईटिंग सर्किट के लिए आई.एस.आई.एंकर स्वीच के साथ अंडर ग्राउण्ड वायरिंग प्रत्येक फ्लैट के लिए इलेक्ट्रीक मीटर एवं कॉमन मीटर भी लगाना है कॉमन एरिया में एल.ई.डी.लाईट के साथ

14. सेनीटरी फीक्सचरः- सेरा या सफेद रंग का सेनीटरी फीक्सचर एक इंडियन एवं दूसरा बेस्टन (डिलक्स कॉम्बोड प्रथम पक्ष में)
15. कॉमन प्लेस :- सीढ़ी पर कोटा टाईल्स तथा स्टील का साईड
16. पार्किंग में :- सिमेन्ट कंक्रीट प्लोरिंग टाईल्स के साथ
17. अन्य जगह वाटर प्रुफिंगः- प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्ष के सलाह पर किया जायेगा।
18. लिफ्ट :- स्टेन्डर्ड लिफ्ट छः व्यक्ति के छमता वाली
19. मेन गेट के पास गार्ड के लिए एक छोटा सा रूम बनाना होगा। ताकि आगन्तुक का रजिस्टर पर दस्तखत और भारी बरसात से बचा जा सके।
20. बिहार सरकार के निर्दशानुसार प्रत्येक अपार्टमेन्ट में स्टैन्डर्ड सी.सी.टी.भी. कैमरा लगाना होगा। अतएव सी.सी.टी.भी. कैम्पर हर एक फ्लोर और उचित जगह पर लगाना होगा।
21. बाउण्ड्री पर फेन्सिग वायर
22. खुला जगह पर लैण्ड स्कैपिंग
23. बाहरी दिवाल पर- डुलेक्स वेदर सिल्ड
24. फायर स्टींगविसर- हर तल्ला पर
25. वाटर टैंक-स्टोरेज साईज
26. बालकोनी-एन्टी स्कीड सेरामिक टाल्स (24"X24")

(द्वितीय पक्ष)
विकासकर्त्ता का हस्ताक्षर
Chandraprakash Kumar
05-03-2021
स्वती देवी
05/03/2021

(प्रथम पक्ष)
भूखण्ड स्वामिनी का हस्ताक्षर
Vina Singh
05/03/2021
Narendra Prasad Singh
05/03/2021
Chandraprakash Kumar
स्वती देवी

Endorsement of Certificate of Admissibility

ssible under Rule 5 : duly Stamped (or exempted from or does not require stamp duty) under the Indian mp Act, 1899, Schedule I or I-A, No. '05'. Also admissible under section 26(a) of the B. T. Act.

Stamp duty paid under Indian Stamp Act **Rs. 151920/-**

Addl.Stamp duty paid under Municipal Act **Rs. 0/-**

Amt.Paid By N.J Stamp Paper **Rs. 5000/-**
Amt.paid through Bank Challan **Rs. 172445/-**

Registration Fee

FEE PAID

A1	19000	C	0	H1b	0	K1a	0	Lii	0		
A8	0	D	0	H2	0	K1b	0	Liii	0		
A9	0	DD	0	I	5000	K1c	0	Mb	25		
A10	0	E	1000	J1	0	K2	0	Na	0		
B	0	H1a	0	J2	0	Li	0				

TOTAL- 25025

Total amount paid (Reg. fee+LLR, Proc+Service Charge) in Rs. - 25525

LLR + Proc Fee		Service Charge
LLR	0	500
Proc.Fee	0	
Total	0	

Date: 05/03/2021

Registering Officer
Patna

Endorsement under section 52

Presented for registration at Registration Office, Patna on Friday, 05th March 2021 by Veena Singh W/O-Late Moti Prasad Singh by profession House Wife. Status - Executant

Vina singh
5-3-2021

Signature/L.T.I. of Presentant **Date:05/03/2021**

Registering Officer
Patna

Endorsement under section 58

Execution is admitted by those Executants and Identified by the person (Identified by 'Kumar Gaurav' age '35' Sex 'M', 'S/O-Moti Prasad Singh', resident of 'Rajapur, Mainpura, Patna'.), whose Names, Photographs, Fingerprints and Signatures are affixed as such on back page / pages of the instrument.

Date : 05/03/2021

Registering Officer
Patna

Endorsement of Certificate of Registration under section 60

egistered at Registration Office Patna in Book 1 Volume No. 89 on pages on 431 -449, for the year 2021 and stored CD volume No. CD-12 year 2021 .The document no. is printed on the Front Page of the document.

ate : 05/03/2021

Registering Officer
Patna

ken No. : 3381 Year : 2021 S.No. : 3301 SCORE Ver.4.1 Deed No . :d No . : 3527

Chandra Prakash Kumar

INDIA NON JUDICIAL
Government of Bihar
e-Stamp

Certificate No.	:	IN-BR18094133449451T
Certificate Issued Date	:	02-Mar-2021 02:17 PM
Account Reference	:	SHCIL (FI)/ brshcil01/ PATNA/ BR-PAT/ PTC
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-BRBRSHCIL01230759711308O9T
Purchased by	:	UTTAM CONSTRUCTION AND DEVELOPERS
Description of Document	:	Not Applicable
Property Description	:	Not Applicable
Consideration Price (Rs.)	:	0 (Zero)
First Party	:	Not Applicable
Second Party	:	UTTAM CONSTRUCTION AND DEVELOPERS
Stamp Duty Paid By	:	UTTAM CONSTRUCTION AND DEVELOPERS
Stamp Duty Paid (Rs.)	:	1,46,920(One Lakh Forty Six Thousand Nine Hundred And Twenty only)
Reg. fee (Rs.)	:	25,025 (Twenty Five Thousand And Twenty Five only)
LLR & P Fee (Rs.)	:	0 (Zero)
Miscellaneous Fee (Rs.)	:	0 (Zero)
Discore SC (Rs.)	:	500 (Five Hundred only)
Total Amount (Rs.)	:	1,72,445 (One Lakh Seventy Two Thousand Four Hundred And Forty Five only)

Stock Holding Corporation of India Ltd.

Vina Sec 2021
05/03/2021
Narendra Prasad Singh
05/03/2021

chandra prakash kumar
05-03-2021
05/03/2021

Do not write or type below this line

0008117866

Chandra prakash kumar

Statutory Alert:



Chandraprakash Kumar

रवी देवी

भारत सरकार
Government of India

कुमार गौरव
Kumar Gaurav
जन्म तिथि/DOB: 06/01/1986
पुरुष/ MALE

2749 2409 5680
VID : 9126 6758 0791 3328

मेरा आधार, मेरी पहचान

Unique Identification Authority of India

पता:
सबोधित: मोती प्रसाद सिंह, मीनू निवास, रजापुर मैनपुरा, एम.एच.शरण हाइ विद्यालय के सामने, एल.सी.टी.घाट, फुलवारी, पटना, बिहार - 800001

Address:
S/O: Moti Prasad Singh, minu niwas, rajapur mainpura, opp m.h.sharan high school, l.c.t.ghat, Phulwari, Patna, Bihar - 800001

QR Code with Photograph

2749 2409 5680
VID : 9126 6758 0791 3328

www.uidai.gov.in

पहचानकर्ता

Chandraprakash kumar

रवी देवी

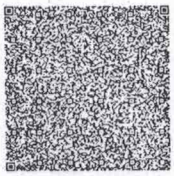
आयकर विभाग
INCOME TAX DEPARTMENT

भारत सरकार
GOVT. OF INDIA



स्थायी लेखा संख्या कार्ड
Permanent Account Number Card

JGUPK5072F



नाम /Name
CHANDRA PRAKASH KUMAR

पिता का नाम / Father's Name
KRISHNA YADAV

जन्म की तारीख /
Date of Birth
05/01/2002

हस्ताक्षर / Signature

Chandra prakash Kumar
05-03-2021

Chandraprakash Kumar
खली देवी

भारत सरकार
Government of India



नरेन्द्र प्रसाद सिंह
Narendra Prasad Singh
जन्म तिथि/ DOB: 01/01/1953
पुरुष / MALE

5517 3915 2000

मेरा आधार, मेरी पहचान

Unique Identification Authority of India

पता:
S/O लेट शिव धारी सिंह, फ्लैट न 408.बी स्वावलंबी रेसिडेंस्य, दाउद बिगहा नज़दीक भूतनाथ मोर (मेंन रोड कंकरबाग), सम्पतचक, पटना, बिहार - 800026

Address:
S/O Late Shiv Dhari Singh, flat no 408.B swalamby residency, daud bigha near bhoothnath mo (main road kankarbagh), Sampatchak, Patna, Bihar - 800026

5517 3915 2000

help@uidai.gov.in

www.uidai.gov.in

Narendra Pd. Singh

Narendra Pd. Singh

Chandra prakash Kumar

रक्षा देवी

स्थाई लेखा संख्या /PERMANENT ACCOUNT NUMBER

AKJPS1961R



नाम /NAME

NARENDRA PRASAD SINGH

पिता का नाम /FATHER'S NAME

SHIVDHARI SINGH

जन्म तिथि /DATE OF BIRTH

01-01-1953

हस्ताक्षर /SIGNATURE

Narendra Pd. Singh

आयकर आयुक्त, पटना

COMMISSIONER OF INCOME-TAX, PATNA

Narendra Pd. Singh

Chandra prakash kumar

देवी

भारत सरकार

आधार

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण

भारत सरकार
Unique Identification Authority of India
Government of India

नामांकन क्रम / Enrollment No.: 2017/95115/01478

To
विना सिंह
Vina Singh
W/O: Moti Prasad Singh
minu niwash RAJPUR
in FRONT of MAHANT Hanuman school gate OPP l.c.t
GHAT ,MAINPURA
Phulwari
Patna G.p
Phulwari Patna
Bihar 800001
9304004313

18/06/2014

151546472

ML515464729FT

आपका आधार क्रमांक / Your Aadhaar No. :

6398 1900 0132

आधार - आम आदमी का अधिकार

भारत सरकार
Government of India



विना सिंह
Vina Singh
जन्म तिथि / DOB : 09/05/1975
महिला / Female

6398 1900 0132

आधार - आम आदमी का अधिकार

Vina singh

Chandraprakash Kumar

रूबी देवी



Vina singh

Chandra prakesh Kumar

खवी देवी